| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 10/7/17 | पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्यायालय आपके द्वारा 2017 कैम्प सवाई में पेश हुई। प्रार्थी/वकील प्रार्थी उप० नहीं। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में दिनांक 13/10/15 से तामीली पूर्ण नहीं करवाई जा रही है। प्रार्थी वकील को अप्रार्थीगण की तामीली पूर्ण करवाने जाने हेतु पूर्व में कई बार अवसर दिये जा चुके हैं। इससे यह स्पष्ट जाहिर होता है कि वकील प्रार्थी प्रार्थना पत्र को आगे चलाने हेतु इच्छुक नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। नम्बर से कम हो।<br><br>(रामेन्द्र कुमार डागा)<br>R.A.S. | |